रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 262] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, सितम्बर 18, 1975/भाद्र 27, 1897

No. 262] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 1975/BHADRA 27, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

(Company Law Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September 1975

G.S.R. 497(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 294AA of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) read with the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs) No. G.S.R. 343(E) dated the 24th June, 1975, the Company Law Board, being of the opinion that the demand for the categories of goods specified below is substantially in excess of the production or supply of such goods and that the services of sole selling agents will not be necessary to create a market for such goods, hereby declares that sole selling agents shall not be appointed by a company for the sale of such goods in India for a period of five years from the date of publication of this notification in the Official Gazette:

1. Cement
2. Paper

[No. F. 12/15/74-CL.XI]

A. CHOUDHURY,
Member, Company Law Board
and Jt. Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

(कम्पनी विधी बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1975

सा० का० नि० 497 (अ).—भारत सरकार, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 343 (ब) दिनांक 24 जून, 1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 294 कक की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी विधि बोर्ड की यह राय होते हुए कि निम्नलिखित सामग्री के वर्गों के लिए मांग, इस प्रकार की सामग्री के उत्पादन या सम्भरण से व्यापक रूप से अधिक है तो एक मात्र विक्रेता अभिकर्ताओं की सेवाएं इस प्रकार की सामग्री हेतु विपणन के सृजन के लिए आवश्यक नहीं होंगी, एतद्द्वारा घोषणा करता है कि इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए भारत में इस प्रकार की सामग्रियों के बिक्री हेतु कम्पनी द्वारा एक मात्र विक्रेता अभिकर्ताओं की नियुक्ति नहीं की जाएगी।

1. सीमेन्ट
2. कागज

[सं० फा० 12/15/74–सी० एल० 11]

ए० चौधरी,
सदस्य, कम्पनी विधि बोर्ड
तथा संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1975